भारत सरकार
योजना मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2874
दिनांक 20 फरवरी, 2014 को उत्तर देने के लिए

अनिवासी भारतीयों के लिए आधार कार्ड

2874. श्री शादी लाल बत्रा:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोई अनिवासी भारतीय (एन.आर.आई.) या भारत में रह रहा विदेशी नागरिक आधार नम्बर/कार्ड के लिए आवेदन कर सकता है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;
(ख) क्या देश की आसूचना एजेंसियों ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा विदेशियों और अन्य देशों के शरणार्थियों को आधार कार्ड जारी किये जाने पर आपत्ति व्यक्त की है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और
(घ) आसूचना एजेंसियों द्वारा व्यक्त की गई चिंता का समाधान करने और साथ ही देश के सभी नागरिकों के लिए आधार नम्बर जारी करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए/उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
राज्य मंत्री-संसदीय कार्य और योजना
(श्री राजीव शुक्ल)

(क) से (घ) सरकार द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण(यूआईडीएआई) के अधिदेश में, भारत के निवासियों के लिए विशिष्ट पहचान संख्याओं (आधार संख्याओं) का सृजन और आवंटन शामिल है। नामांकन के प्रयोजन से, सरकार ने निर्णय लिया है कि यूआईडीएआई 22 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में आधार के लिए नामांकन करेगा जो राष्ट्रीय जनसंख्या पंजी (एनपीआर) प्रक्रिया के अंतर्गत हुए नामांकन के अतिरिक्त होगा। शेष राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में, केवल एनपीआर प्रक्रिया के अंतर्गत नामांकन किया जा रहा है। सरकार ने यह निर्णय भी लिया है कि एनपीआर और यूआईडीएआई डेटा के बीच किसी भी प्रकार की विसंगति होने की स्थिति में, एनपीआर का डेटा मान्य होगा।

निवासियों का नामांकन करते समय, यूआईडीएआई "निवासियों" की परिभाषा का अनुसरण करता है जो नागरिकता (नागरिकों का पंजीकरण तथा राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करना) नियमावली, 2003 के नियम 2(1) में उल्लिखित "जनसंख्या पंजी" की परिभाषा पर आधारित है, जिसके अनुसार "निवासी" का अर्थ ऐसे व्यक्ति से है जो सामान्यतः भारत के गांव अथवा ग्रामीण क्षेत्र अथवा शहर अथवा वार्ड

अथवा शहर या शहरी क्षेत्र में किसी वार्ड के किसी विनिश्चित क्षेत्र (नागरिक पंजीकरण संबंधी महापंजीयक द्वारा विनिश्चित) में निवास करता है। यूआईडीएआई और एनपीआर- दोनों ही एक ही श्रेणी के लोगों अर्थात् निवासियों का नामांकन कर रहे हैं।

यूआईडीएआई द्वारा जनांकिक डेटा पूर्व सतर्कता आयुक्त(भारत) श्री एन. विट्टल की अध्यक्षता वाली जनांकिक डेटा मानक व सत्यापन प्रक्रिया समिति द्वारा संस्तुत सत्यापन प्रक्रिया के अनुसार लिए जाते हैं। इस समिति में वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय,सूचना प्रौद्योगिकी, दूरसंचार मंत्रालय तथा डाक विभाग के अलावा विभिन्न राज्य सरकारों के प्रतिनिधि शामिल थे। आवेदकों के जनांकिक ब्यौरे का सत्यापन (i) सहायक दस्तावेजों; (ii) परिचायक प्रणाली; अथवा (iii) राष्ट्रीय जनसंख्या पंजी की सार्वजनिक संवीक्षा प्रक्रिया के आधार पर किया जाता है।

गृह मंत्रालय से प्राप्त चर्चा अभिलेख के मसौदे, जिसमें कहा गया है कि सतर्कता ब्यूरो ने ख़ासकर परिचायक प्रणाली के माध्यम से नामांकन हेतु निवासियों के नामांकन के लिए मज़बूत व्यवस्था रखने का प्रस्ताव किया है, के प्रत्युत्तर में सूचित करना है कि परिचायक-आधारित नामांकन प्रक्रिया में पर्याप्त सुरक्षात्मक उपाय पहले ही से मौजूद हैं।

फिलहाल, परिचायक आधारित नामांकनों की कुल संख्या लगभग 2.1 लाख है जो पंजीयकों द्वारा नियुक्त लगभग 3700 परिचायकों द्वारा की गई संस्तुतियों पर आधारित हैं जिनमें से सभी परिचायक आधार संख्याधारक हैं और उन्होंने ऐसे परिचयों के लिए लिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं। इस प्रकार, परिचायक-आधारित नामांकन कुल सृजित आधारों(31.01.2014 की स्थिति के अनुसार 57.6 करोड़) के 0.04 प्रतिशत से भी कम है। पिछले तीन महीनों में, यूआईडीएआई ने प्रतिदिन औसतन 10 लाख आधार संख्याएं सृजित की हैं।

*****